न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
188 / 2019	24.10.2019	18.8.25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हेम राज सिह आत्मज रूप सिंह जाति राजपूत आयु 48 वर्ष निवासी रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– तेज कवर पुत्री रूप सिंह पत्नी राज सिंह जी जाति राजपूत निवासी मोरी के हनुमान जी के मन्दिर के पास, गांधी चोक, रामपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2– पदम बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी प्रहलाद सिंह जी जाति राजपूत

3– संतोष बाई पुत्री रूप सिंह पत्नी केसर सिंह जी जाति राजपूत

4– मोहन बाई पत्नी स्व० रूप सिंह जी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री गिरिराज मीणा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है –

1– यह कि ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी न० 4 के पति रूप सिंह आत्मज नृसिह जी जी के खाते में खसरा नम्बर 108 की 1.61 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–72 में हो रहा है।

2– यह कि उपरोक्त भूमि वादी के पिता के स्वय के खाते की भूमि है वादी अपने पिता का इकलौता पुत्र है इस कारण खातेदार रूप सिंह जी ने अपने जीवनकाल उपरोक्त भूमि की वसीयत अपनी स्वेच्छा से दो गवाहों के समक्ष दिनाक 5–6–2014 को आलेखित की तथा रूप सिह जी द्वारा वसीयत को स्वीकार कर गवाहान के समक्ष अपनी निशानी अगूठा किया व गवाहान ने भी अपने हस्ताक्षर / अगूठे किये व उसे अपनी स्वय की इच्छा से उपपजीयक दीगोद के समक्ष पजीयन करवाया। जिसका पजीयन कार्यालय उपपजीयक दीगोद के यहा दिनांक 5–6–2014 को हो रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)